# न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
## बईजलास–कुमार पाल गौतम,आई.ए.एस

राजस्व मुन्तकिल प्रार्थना पत्र संख्या –68/2017

| प्रार्थी | | अप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| शमीम बानो बेवा मोहम्मद सलीम<br>जाति रंगरेज मुसलमान निवासी<br>डीडवाना | बनाम | 1. फूल मोहम्मद पुत्र फेजू खां<br>2. शौकत पुत्र फेजू खां<br>3. फतेह मोहम्मद पुत्र फेजू खां समस्त जाति फकीर निवासी मुस्तफा कॉलोनी, साल्ट रोड, डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर।<br>4. सलमा पत्नि मोहम्मद हुसैन पुत्री फेजू खां<br>5. रूकइया पत्नि अब्दुल जब्बार पुत्री फेजू खां<br>6. भूरी पत्नि स्वर्गीय कादर पुत्र फेजू खां समस्त जाति फकीर निवासी साल्ट रोड डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर<br>7. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका डीडवाना जिला नागौर |

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से वकील श्री कन्हैयालाल सुथार।
2. अप्रार्थी संख्या 1, 2, 5 व 6 की ओर से वकील श्री चन्द्रशेखर एंव अप्रार्थी संख्या 7 की ओर से वकील श्री मोहम्मद शाहिद।

आदेश दिनांक – 29-10-18

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) डीडवाना के न्यायालय में लम्बित राजस्व वाद संख्या 86/2015 एंव राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या–78/2015 फूल मोहम्मद बनाम शमीम बानों वगैराह को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से पैरावाईज टिप्पणी तलब की गयी। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 द्वारा प्रकरण की सुनवाई कार्यवाही में भाग नहीं लिया, जिस पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी व अन्य के विरूद्ध एक वाद वास्ते घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के द्वारा खेत खसरा नम्बर 1014 मौजा डीडवाना के संबंध में 19.06.2015 को सहायक कलक्टर एंव एसडीओ डीडवाना के समक्ष पेश किया, जिसके वाद संख्या 86/2015 है तथा उक्त वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन पत्र पेश किया, जिसके प्रकरण संख्या 78/2015 है। इन दोनो ही प्रकरण की तारीख पेशी दिनांक 14.12.2017 को तय है। इस प्रकरण में विवादित खेत खसरा नम्बर 1014 की भूमि 26 बीघा 05 बिस्वा सरहद मौजा डीडवाना में स्थित है, इस भूमि का मूल खातेदार रजाक, गनी, फेजू खां, गुलाम रसूल पुत्रगण मुस्ताक जाति फकीर की बहिस्सा बराबर थी, यानि इन चारों की प्रत्येक की 1/4 हिस्सा भूमि थी। फेजू ने अपना 1/4 हिस्सा भूमि 6 बीघा 11 बिस्वा रकबा प्रार्थी को जरिये बेचान कर रजिस्ट्री के बेचान कर दिया तब से प्रार्थी उस पर काबिज है।

इस खसरा नम्बर 1014 की भूमि को एसडीओं डीडवाना ने पूरा रकबा नगरपालिका डीडवाना के नाम दर्ज करने का आदेश धारा 90बी लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत कर दिया, ऐसी दशा में रकबा नगरपालिका डीडवाना के म्युटेशन संख्या 2661 दिनांक 08.10.2003 को दर्ज कर दिया गया।



Scanned by CamScanner

वाद में उक्त एसडीओ डीडवाना का आदेश संभागीय आयुक्त ने दिनांक 23.02.2010 को निरस्त कर दिया गया है। ऐसी दशा में राजस्व रिकॉर्ड नगरपालिका डीडवाना के नाम से हुआ इन्द्राज शून्य प्रभावी है। ऐसी दशा में प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि में फेजू खां की 1/4 भाग भूमि क्रय सुदा होने से प्रार्थी उसकी खातेदारी हक अधिकार को प्राप्त करने व इस बाबत निषेधाज्ञा पाने का हकदार है। प्रकरण में कानून अनुसार वांछित कार्यवाही सहायक कलक्टर एवं एसडीओ डीडवाना नहीं कर पक्षपातपूर्ण कार्यवाही करने पर तुला हुआ होने से यह ट्रांसफर अर्जी पेश की है।

अदालत मातहत सहायक कलक्टर एंव एसडीओं डीडवाना कानून अनुसार कार्यवाही नहीं कर कानूनी प्रावधानों से परे जाकर अपनी मनमर्जी माफिक आदेश करने पर तुला हुआ है। ऐसी दशा में मुझ प्रार्थी को न्याय मिलने की कोई सम्भावना नहीं है, ऐसी दशा में प्रकरण अन्य अदालत में ट्रांसफर किया जाना न्यायोचित है। अप्रार्थी फूल मोहम्मद का रोजाना सहायक कलक्टर एंव एसडीओं डीडवाना के साथ उठना बैठना है। रोजाना उसके घर पर आता जाता रहता है तथा उक्त फूल मोहम्मद के अनुचित प्रभाव में है, ऐसी दशा में मुझ प्रार्थी को सहायक कलक्टर एंव एसडीओं डीडवाना से न्याय मिलने की कतई उम्मीद नहीं है। मेरा पुत्र अब्दुल सलाम जो दिनांक 16.11.2017 को पेशी पर मेरे वकील से मिलने वहां कचहरी डीडवाना में खडा था, तब फूल मोहम्मद सहायक कलक्टर डीडवाना के चेम्बर में से बाहर आया व मेरे पुत्र अब्दुल सलाम को ऐलानियां बताया कि उसने साहब से बात कर ली है फैसला उसके पक्ष में करना तय है, ऐसी दशा में मेरा सहायक कलक्टर एंव एसडीओं डीडवाना से विश्वास उठ गया है, मुझे न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है, ऐसी दशा में प्रकरण अन्य अदालत में ट्रांसफर किया जाना न्याय हित में व न्याय पूर्ण फैसले के लिए वांछित है।

दिनांक 20.09.2017 को उक्त फूल मोहम्मद ने एक अर्जी पेश कर सहायक कलक्टर एंव एसडीओ डीडवाना से निवेदन किया कि खेत खसरा नम्बर 1014 रकबा 26 बीघा 05 बिस्वा के 1/4 हिस्सो की खातेदारी नगरपालिका डीडवाना से हटाकर फेजू खां के स्थान पर वारिसान प्रमाण पत्र के अनुसार दर्ज करने की आज्ञा दिलावें, जिस पर बिना कोई जांच पडताल किये ही न्यायालय के आदेश की पालना करने का लिख दिया, जबकि फेजू खां ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा प्रार्थी के पक्ष में बेचान कर दिया था, ऐसी दशा में फूल मोहम्मद को फेजू खां के वारिसान के नाम रिकॉर्ड बनवाने का कोई हक ही नहीं रहा है। इस वजह से भी यह प्रकट है कि सहायक कलक्टर एंव एसडीओ डीडवाना फूल मोहम्मद के प्रभाव में है तथा दावा चलने के दौरान ऐसे आदेश दिया जाना पूर्ण रूप से विधि विरूद्ध है। इस वजह से हमे सहायक कलक्टर एंव एसडीओं डीडवाना पर विश्वास नहीं हो रहा है कि वह न्याय पूर्ण कार्यवाही करेगा। इस वजह से प्रकरण अन्य न्यायालय में ट्रांसफर किया जाना न्याय हित में है।

प्रकरण हाजा के वादीगण स्वर्गीय फेजू के वारिसान है तथा अप्रार्थीगण संख्या 4 से 6 भी स्वर्गीय फेजू पुत्र मुस्ताक द्वारा खसरा नम्बर 1014 रकबा 26 बीघा 05 बिस्वा मौजा डीडवाना में निहित अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/4 मुझ प्रार्थी के पक्ष में बेचान कर देने से फेजू के वारिसान को किसी भी तरह का कोई भी हक व अधिकार प्राप्त नहीं हुआ, ऐसी दशा में उनका दावा पूर्ण रूप से विधि विरूद्ध होते हुए भी अदालत मातहत ने इन तथ्यों को नजर अंदाज करते हुए उस दावें को आज तक चलाये रखा है तथा पक्षपातपूर्ण तरीके से वादी की मदद करने पर तुला हुआ है, इस वजह से प्रकरण हाजा में मुझ प्रार्थी को न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रकरण अन्य अदालत में ट्रांसफर किया जाना न्यायोचित होने का कथन करते हुऐ वकील प्रार्थी ने राजस्व वाद संख्या 86/2015 व राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 78/2015 अनवान फूल मोहम्मद बनाम शमीम बानो वगैराह को सहायक कलक्टर एंव एसडीओ डीडवाना के न्यायालय से अन्य अदालत में ट्रांसफर किये जाने का निवेदन किया।

वकील अप्रार्थी श्री चन्द्रशेखर ने वकील प्रार्थी की बहस का विरोध करते हुऐ कथन किया कि प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार प्रकरण के सभी पक्षकारान की विधिवत सुनवाई करते हुऐ प्रकरण में कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मिथ्या तथ्यों पर आधारित होने का कथन करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।



Scanned by CamScanner

वकील अप्रार्थी श्री मोहम्मद शाहिद ने अपनी बहस में मुख्यतः कथन किया कि खसरा नम्बर 1014 नगरपालिका डीडवाना के नाम दर्ज करने का आदेश 90 बी लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत कर दिया था। म्यूटेशन संख्या 2661 दिनांक 08.10.2003 को दर्ज कर दिया गया था। एस.डी.ओ. साहब डीडवाना का आदेश संभागीय आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 23.02.2010 को निरस्त कर दिया गया, जिसमें वापिस खातेदारों की खातेदारी दर्ज हो गई तथा नगरपालिका के नाम से रिकार्ड शून्य हो गया। उक्त प्रकरण में नगरपालिका डीडवाना की कोई हिस्सेदारी नहीं है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 3 व उपपद संख्या 1 ता 6 को गलत होने का कथन करते हुऐ अस्वीकार किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में विवादित खेत खसरा नम्बर 1014 की भूमि में से फेजू ने अपना 1/4 हिस्सा भूमि 6 बीघा 11 बिस्वा रकबा प्रार्थी को जरिये बेचान कर रजिस्ट्री के बेचान कर दिया। इस खसरा नम्बर 1014 की भूमि को एसडीओ डीडवाना ने पूरा रकबा नगरपालिका डीडवाना के नाम दर्ज करने का आदेश धारा 90बी लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत कर दिया, ऐसी दशा में रकबा नगरपालिका डीडवाना के म्युटेशन संख्या 2661 दिनांक 08.10.2003 को दर्ज कर दिया गया। तत्पश्चात एसडीओ डीडवाना का उक्त आदेश संभागीय आयुक्त गहोदय द्वारा दिनांक 23.02.2010 को निरस्त करते हुए प्रकरण उन्हे रिगाण्ड कर मौका रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद अपीलान्ट को सुनवाई का अवसार देने एवं मौका पर जिस क्षैत्र में प्लाटिंग की गई है अर्थात अकृषि कार्य किये गये है, उस भूमि को धारा–90 बी के तहत निर्णय में वर्णित प्रकिया अपनाकर पुनर्ग्रहण की कार्यवाही करने तथा शेष भूमि जो कृषि कार्य में उपयोग ली जा रही है उसे खातेदार के नाम दर्ज करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

प्रकरण में वकील प्रार्थी का कथन कि दिनांक 20.09.2017 को उक्त फूल मोहम्मद ने एक अर्जी पेश कर सहायक कलक्टर एंव एसडीओं डीडवाना से निवेदन किया कि खेत खसरा नम्बर 1014 रकबा 26 बीघा 05 बिस्वा के 1/4 हिस्सो की खातेदारी नगरपालिका डीडवाना से हटाकर फेजू खां के स्थान पर वारिसान प्रमाण पत्र के अनुसार दर्ज करने की आज्ञा दिलावें, जिस पर बिना कोई जांच पडताल किये ही न्यायालय के आदेश की पालना करने का लिख दिया, जबकि फेजू खां ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा प्रार्थी के पक्ष में बेचान कर दिया था, ऐसी दशा में फूल मोहम्मद को फेजू खां के वारिसान के नाम रिकॉर्ड बनवाने का कोई हक ही नहीं रहा है। वकील प्रार्थी के उक्त कथन के खण्डन में अप्रार्थी फूल मोहम्मद के अधिवक्ता श्री चन्द्रशेखर द्वारा ऐसी कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की, जिससे यह साबित हो कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय के आदेश की पालना में किसी प्रकार का मौका रिपोर्ट आदि तैयार की गई हो। इसके अतिरिक्त वादग्रस्त भूमि पर मालिकाना हक के संबंध में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकारान के मध्य वाद विचाराधीन है, तो ऐसी स्थिति में फूल मोहम्मद द्वारा प्रस्तुत अर्जी दिनांक 20.09.2017 के संबंध में समग्र तथ्यों के मध्य नजर विधि सम्मत कार्यवाही की जानी चाहिए थी। यद्यपि उक्त तथ्य प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी डीडवाना के उक्त आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील/निगरानी आदि के हो सकते है, परन्तु उक्त तथ्य न्यायिक प्रकिया अन्तर्गत पीठासीन अधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही में सन्देह अवश्य उत्पन्न करते है। उपखण्ड अधिकारी डीडवाना ने भी अपनी पैरावाईज टिप्पणी में उक्त तथ्यों के संबंध में कोई विशेष तार्कीक कथन नहीं किये है, केवल नियमानुसार प्रकरण में कार्यवाही करने तथा पत्रावली अन्य न्यायालय को भिजवाई जाने में एतराज नहीं होने का कथन किया गया है।

प्रकरण में वकील प्रार्थी ने यह भी कथन किया है कि अदालत मातहत सहायक कलक्टर एंव एसडीओ डीडवाना कानून अनुसार कार्यवाही नहीं कर कानूनी प्रावधानों से परे जाकर अपनी मनमर्जी माफिक आदेश करने पर तुला हुआ है। ऐसी दशा में प्रार्थी को न्याय मिलने की कोई सम्भावना नहीं है। अप्रार्थी फूल मोहम्मद का रोजाना सहायक कलक्टर एंव एसडीओं डीडवाना के साथ उठना बैठना है। रोजाना उसके घर पर आता जाता रहता है तथा उक्त फूल मोहम्मद के अनुचित प्रभाव में है, ऐसी दशा में प्रार्थी को सहायक कलक्टर एंव एसडीओ डीडवाना से न्याय मिलने की कतई उम्मीद नहीं है। प्रार्थी का पुत्र अब्दुल सलाम जो दिनांक 16.11.2017 को पेशी पर अपने वकील से मिलने वहां कचहरी डीडवाना में खडा था, तब फूल मोहम्मद सहायक कलक्टर डीडवाना के चेम्बर में से बाहर आया व मेरे

कलक्टर, नागौर



Scanned by CamScanner

पुत्र अब्दुल सलाम को ऐलानियां बताया कि उसने साहब से बात कर ली है फैसला उसके पक्ष में करना तय है, ऐसी दशा में मेरा सहायक कलक्टर एंव एसडीओ डीडवाना से विश्वास उठ गया है, मुझे न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। वकील प्रार्थी के उक्त कथनों के खण्डन स्वरूप भी वकील अप्रार्थीगण द्वारा कोई लिखित जबाब पेश नहीं किया गया एवं न ही दौराने बहस वकील प्रार्थी के उक्त कथनों के खण्डन में कोई तार्कीक कथन किये गये है। वकील प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में संबंध में प्रार्थी का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार वकील प्रार्थी का कथन कि उन्हे अधिनस्थ न्यायालय से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है, को बल मिलता है। ऐसी स्थिति में न्याय हित में हस्तगत प्रकरण में प्रश्नगत राजस्व वाद एवं प्रार्थना पत्र अन्यत्र सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी को अंतरित किया जाना उचित पाते है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन राजस्व वाद संख्या 86/2015 एवं राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या--78/2015 बअनवान फुल मोहम्मद बनाम शगीम बानों वगैरह प्रकरणों को आगामी सुनवाई हेतु सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी डीडवाना के न्यायालय से सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मेड़ता के न्यायालय में अन्तरित किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी डीडवाना से प्राप्त उक्त राजस्व वाद एवं प्रार्थना पत्र की मूल पत्रावलियां पुनः उनको लौटाई जावे। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी डीडवाना को निर्देश दिये जाते है कि वह उक्त दोनों मूल पत्रावलियां प्रकरणों में आगामी सुनवाई कार्यवाही हेतु अविलम्ब सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मेड़ता को भिजवावें। आदेश की प्रति सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी डीडवाना एवं मेड़ता को पालनार्थ भिजवाई जावे।

आदेश सुनाया गया।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर

Scanned by CamScanner